

126



न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.
प्र.क्र. /16-17 निगरानी PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2017/4839

दिनांक 31.10.2017

1. लक्ष्मण पिता कुलाई भोई
2. प्रकाश पिता किशनलाल
3. पवन पिता किशनलाल
4. राजेश पिता किशनलाल
5. मदन पिता भागीरथ
6. मोडिराम पिता जानकीलाल
7. आनंदीलाल पिता देवजी
8. रामचन्द्र पिता भैरूलाल
9. अशोक पिता राधेश्याम
10. भुवान पिता भैरूलाल
11. राकेश पिता धन्नालाल
12. तेजराम पिता बगदीलाल
13. नरेन्द्र पिता बगदीराम
14. ईश्वर पिता शंकरलाल
15. प्रेम पिता मांगीलाल
16. प्रभुलाल पिता बगदीराम
17. कन्हैयालाल पिता रामनाथ
18. बद्रीलाल पिता कालू धाकड़
19. पूनमचन्द्र पिता आत्माराम
20. गोरधन पिता पन्नालाल

उपरोक्त सभी निवासीगण स्वेज
फार्म, म्यु. वार्ड क्र. 12 उज्जैन

आवेदक
विरुद्ध

कल्लीबाई पिता नाथुजी पति मोतीलाल धाकड़,
आयु-68 वर्ष, धंधा-कृषि, निवासी- स्वेज
फार्म, म्यु. वार्ड क्र. 12 उज्जैन

अनावेदक

विषय :- अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील उज्जैन के
न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 20/अ-12/15-16 में पारित आदेश
दिनांक 12-01-2016 एवं सीमांकन दिनांक 12-06-2016 से असंतुष्ट
होकर निगरानी धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता के अन्तर्गत :-

न्यायालय तहसीलदार महोदय उज्जैन के प्रकरण क्रमांक
3/अ-70/16-17 नियत तारिख 30-10-2017 से उक्त प्रकरण की
जानकारी



निरन्तर 2

Noted
22-12-17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/4839

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह बैस उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p>	<p> प्रशासकीय सदस्य</p>